राजस्थान में छह जगह सी.बी.आई. की छापेमारी

एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा

- सीबीआई ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, ईमेल अकाउंट और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।

जयपुर (कासं)। एचपीजेड टोकन एप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश की योजना बताकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ देशभर में सीबीआई की टीमों ने दबिश दी है। राजस्थान समेत 10 राज्यों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। राजस्थान में 6 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इस दौरान सीबीआई ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, ईमेल अकाउंट और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।

सीबीआई ने बुधवार को दो निजी कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि एचपीजेड टोकन ऐप से संबंधित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना में आरोपी संलिप्त थे। इस योजना में ये आरोपी आम लोगों से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन है, जो यूज करने वालों को बिटकॉइन एवं अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके बड़े फायदे का सपना दिखाकर धोखाधड़ी करते हैं। अब तक की जांच से पता चला है कि इन आरोपियों ने इस धोखाधड़ी में 150 बैंक खातों का इस्तेमाल किया और निवेशकों से पैसा लेकर इन बैंक में लिया गया। शुरुआत में इस पैसे का उपयोग विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया यानी इन लोगों ने कई निवेशकों को पैसा भी इन बैंक खातों के माध्यम से लौटाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लालच में आकर निवेश करें। आरोपियों ने बैंक खातों में आए पैसों को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर निवेश किया है।

पुनर्मतदान के लिए मतदान दल रवाना

जयपुर, (का.सं.)। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नान्दसी गाँव में एक पोलिंग बूथ पर गुरूवार को होने वाले पुनर्मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 195, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नान्दसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान गुरुवार 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतदान करवाने के लिए मतदान दल बुधवार को अजमेर कलेक्ट्रेट से रवाना हुए।

गुप्ता ने बताया कि रवानगी से पूर्व मतदान दलों को तृतीय एवं अन्तिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मतदान प्रक्रिया के लिए नियुक्त सेक्टर ऑफिसर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद मतदान सामग्री मतदान दल को सुपुर्द की गई। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर-1,2,एवं3 को प्रशिक्षित किया गया।

गौरवमयी संस्कृति और परम्पराओं से जुड़े प्रदेश हैं गुजरात व महाराष्ट्र : मिश्र

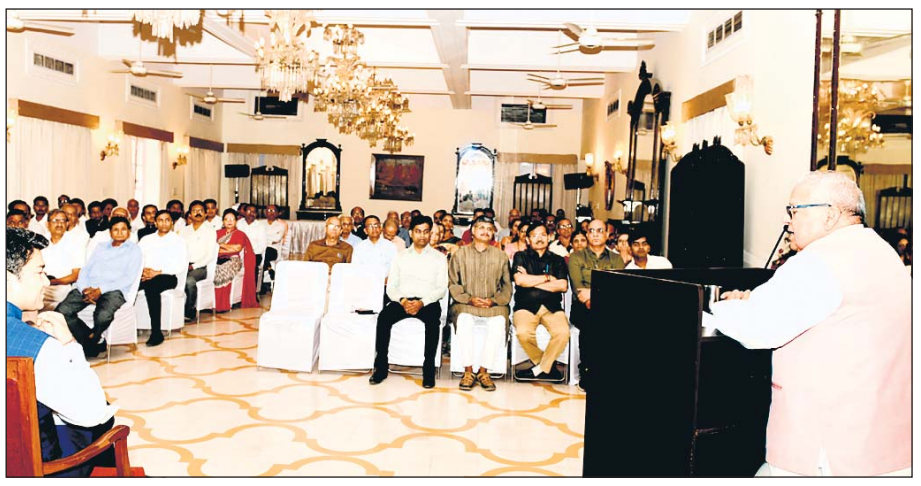

गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों से राज्यपाल कलराज मिश्र ने संवाद किया।

जयपुर, (का.सं.)। राजभवन में बुधवार को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान दोनों राज्यों के लोगों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात के भाषायी आधार पर अलग राज्य बनने के बाद से ही दोनों ने राष्ट्रीय प्रगति में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र को स्वाधीनता आंदोलन की उर्वर भूमि बताते हुए सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि का भी स्मरण किया।

राज्यपाल ने कहा कि गुजरात भगवान श्री शिव का पवित्र धाम सोमनाथ है तो यही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ गुजरात ने देशभर में अपनी उत्सवधर्मी सांस्कृतिक, सामाजिक परम्पराओं से भी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने महाराष्ट्र को अध्यात्म, दर्शन और संत परम्पराओं की धरती बताते हुए कहा कि संत तुकाराम, स्वामी समर्थ रामदास जी जैसे संतों की इस धरती पर ही छत्रपति शिवाजी, सावरकर, डॉ. भीमराव आम्बेडकर जैसे व्यक्तित्वो ने समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल की।

मिश्र ने भारतीय संविधान की उद्देशिका के आरंभिक वाक्य "हम भारत के लोग" की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान ने हमे अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी प्रदान किए हैं। इनके संतुलन से ही जीवन के उदात मूल्यों से भारत आगे बढ़ा है। उन्होंने संविधान को पवित्र मानते हुए सबको संवैधानिक मूल्यों के लिए कार्य करने का आहवान किया।

उन्होंने संविधान की मूल प्रति पर उकेरे चित्रों की चर्चा करते हुए समरसता की भारतीय संस्कृति के लिए सबको मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंर्तगत राज्यों के स्थापना दिवस विविधता में एकता की हमारी अनूठी संस्कृति के संवाहक है। उन्होंने अतीत की परम्पराओं को सहेजते हुए दोनों ही प्रदेशों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आरंभ में उन्होंने संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंदराम जायसवाल भी उपस्थित रहे।

रोडवेज में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर शुरू

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सात दिवसीय नि:शुल्क चिकित्सा शिविर शुरू हुआ। निगम की अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्रेया गुहा ने बुधवार को जयपुर जोन स्थित डीलक्स एवं जयपुर आगार के शिविरों का निरीक्षण किया।

- पहले दिन कुल 621 कार्मिकों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सात दिवसीय नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का शुरू हुआ। निगम की अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्रेया गुहा ने बुधवार को जयपुर जोन स्थित डीलक्स एवं जयपुर आगार के शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपस्थित चिकित्सकों से कार्मिकों के स्वास्थ्य से सम्बन्धी फीड बैक भी लिया।

गुहा ने कहा कि निगम के चालक-परिचालकों के कंधो पर स्वयं के साथ-साथ बस में सवार यात्रियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। अत: यह बेहद जरुरी है कि वे तनाव रहित जीवनशैली को अपनाने के साथ चिकित्सकों द्वारा दी गई सलाह को माने। उन्होंने रोडवेज प्रबन्धन को निर्देश दिए कि ड्यूटी के बाद चालक-परिचालको को नियमित विश्राम दे जिससे वे पर्याप्त नींद ले सकें। शिविर में कार्मिको के नेत्र परीक्षण, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जॉच कर मौके पर दवाईया उपलब्ध करवायी गई। बुधवार को जयपुर जोन में कुल 425 व बीकानेर जोन में 196 कार्मिकों सहित कुल 621 कार्मिकों ने अपनी जॉच करवायी।

देवनानी राजकीय निवास में शिफ्ट हुए

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राजकीय निवास सिविल लाइन्स स्थित बंगला संख्या 48 में शिफ्ट हो गये है। देवनानी ने राजकीय निवास में परिवारजन सहित विधि विधान से हवन, पूजन और मंगलाचार कर शुभ मुहूर्त में बंगले में प्रवेश किया। देवनानी ने शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। देवनानी के राजकीय निवास का दूरभाष संख्या 2220784 है।

आकस्मिक चैंकिग में वन विभाग के कार्मिकों से 1.5 लाख रुपये की नगदी बरामद

पांचों कार्मिक बूंदी से जयपुर अरण्य भवन आए थे

- एसीबी को सूचना मिली थी कि कुछ कार्मिक रिश्वत की बड़ी राशि लेकर कार में बूंदी से जयपुर अरण्य भवन आ रहे हैं।
- एसीबी सभी से पूछताछ करने में जुटी है।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर के झालाना इलाके में बुधवार को कार से अरण्य भवन में आए वन विभाग के पाँच कार्मिकों से आकस्मिक चैकिंग के दौरान तलाशी में 1 लाख 5 हजार रुपये से अधिक की नगद बरामद की है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को गोपनीय सूचना मिली थी कि वन विभाग के कुछ कार्मिक रिश्वत की बड़ी राशि लेकर कार में बूंदी से जयपुर अरण्य भवन आ रहे हैं।

जिस पर एसीबी जयपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक पारीक के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया। शिकायत सही मिलने पर बुधवार को पुलिस निरीक्षक छोटीलाल के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने आकस्मिक चैकिंग की कार्रवाई की। इस दौरान अरण्य भवन पर संदिग्ध कार को रूकवाया कर उसकी तलाशी ली। कार में रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी का वन रक्षक राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय शक्ति प्रकाश, वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन सरंक्षक भैरूलाल गोस्वामी, वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन सरंक्षक राम सागर गुर्जर और रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व के सहायक वनपाल महावीर प्रसाद रैगर मिले। जिनकी तलाशी ली गई तो राजकुमार शर्मा के पास 1 लाख 5 हजार रुपये की संदिग्ध नगद राशि मिली। इस राशि के संबंध में कार्मिक से स्पष्टीकरण लिया गया तथा मौके पर ही उसकी सत्यता की जाँच की गई। प्रथमदृष्टया सही नहीं पाये जाने पर संदिग्ध राशि को जब्त कर लिया गया। मामले में संदिग्ध कार्मिकों से पूछताछ की जा रही है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या 130 योजना खुसर विस्तार जेडीए स्कीम का मूल आरक्षण पत्र रास्ते में कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। सांवल राम-9214531626

निजी खातेदारी की योजना-उपासना संगम सिटी-Ist गांव महाराजपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्या 100 का जे.डी.ए. द्वारा जारी मूल पट्टा, साइड प्लान, मूल स्टाम्प पेपर गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। नेहा सेठी-मो. 9252775782

ना राहुल-प्रियंका का रहा असर, ना नरेंद्र मोदी की अपील रही दमदार

- ये स्टार प्रचारक जहां भी आए, वहां भी कम रहा मतदान प्रतिशत
- मोदी के प्रचार वाली सिर्फ बाड़मेर पर ही बढ़ा मतदान
- खड़गे और सोनिया के आने का भी नही रहा असर

जयपुर, (का.प्र.)। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारक इसलिए बनाया जाता है कि लोग उन स्टार प्रचारक को को सुनने आए और पार्टियां उन बड़े नेताओं की लोकप्रियता को भुना सके, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि स्टार प्रचारकों को लेकर लोगों में कोई रुचि नजर आई हो। यही कारण है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुलगांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के राजस्थान में प्रचार के बावजूद मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा। यह नेता जिन क्षेत्रों में आकर गए, वहां मतदान प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम जरूर हो गया। इतना ही नहीं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता कहा जाता है, लेकिन वह भी राजस्थान के जिन क्षेत्रों में आकर गए, उनमें से मात्र एक में वोट प्रतिशत बढ़ा, बाकी सभी जगह वोट प्रतिशत कम हुआ है।

राजस्थान में इस बार के लोकसभा चुनाव में 61.60 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जो 2019 के चुनाव में 66.34 फीसदी मतदान के मुकाबले 4.74 फीसदी कम है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी राजस्थान की दो लोकसभा सीटों श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और जोधपुर के फलोदी में जनसभा की थी। श्री गंगानगर में 2019 के मुकाबले जहां 8:30 प्रतिशत मतदान कब हुआ वही जोधपुर में इस बार मतदान 0.50 प्रतिशत कम हुआ है। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले सोनिया गांधी के साथ 6 अप्रैल को जयपुर में सभा को संबोधित किया। और जयपुर में इस बार 2019 के मुकाबले 5 प्रतिशत कम लोगों ने मतदान किया।

इसके बाद प्रियंका की दौसा और जालोर में जनसभा हुई। दोसा में करीब 6 प्रतिशत और जालौर में करीब 3: 50 प्रतिशत मतदान कम हुआ है। अलवर में प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया था, जहां करीब 6: 50 प्रतिशत से कम मतदान 2019 के मुकाबला हुआ है। लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अपील तो नहीं सुनी लेकिन खास बात यह रही की जिस नाम पर भाजपा चुनाव लड़कर वोट हासिल करना चाहती थी, उन पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर भी जनता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मोदी ने राजस्थान में दोनों चरणों को लेकर कुल 9 दौरे करके 10 लोकसभा सीटों को कवर किया। इन 10 सीटों में से सिर्फ बाड़मेर में मतदान प्रतिशत 0.95 फीसदी बढ़ा है, इसके अलावा बाकी सभी 9 सीटों पर मतदान प्रतिशत एक से लेकर 8:50 प्रतिशत तक कम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कोटपूतली में 2 अप्रैल को, 5 अप्रैल को चूरू, 6 अप्रैल को अजमेर के पुष्कर, 11 अप्रैल को करौली, 12 अप्रैल को बाड़मेर में सभा करने के अलावा 12 अप्रैल को दौसा में रोड शो किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अप्रैल को जालोर और बांसवाड़ा बांसवाड़ा के अलावा 23 अप्रैल को टोंक-सवाई माधोपुर में जनसभा की थी।

ए.आई.जे.एस. एसोसिएशन का गठन

जयपुर, (का.सं.)। देशभर के न्यायिक अधिकारियों ने अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन (ए.आई.जे.एस.) की कार्यकारिणी का गठन किया है। एसोसिएशन में मुंबई से न्यायिक अधिकारी डॉ. अजय नथानी को अध्यक्ष, आरजेएस एसोसिएशन, राजस्थान के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह रणवीर सिंह और देवेन्द्र जंगाला को महासचिव, नवीन कश्यप को संयुक्त सचिव, गौरव दहिया को कोषाध्यक्ष बनाने के साथ ही अनूप कुमार पाठक, फैय्याज कुरैशी, हरेन्द्र सिंह को राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है।

एआईजेएस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग ने बताया कि हाईकोर्ट में जज नियुक्ति के लिए फिलहाल न्यायिक अधिकारियों का 33 फीसदी कोटा है। इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने के लिए एसोसिएशन प्रयास करेगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान शुरू

जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत द्वारा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता मे अभाविप के पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया। जिसमें होने वाली सदस्यता की योजना बताई गई।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से प्रारंभ होकर लगातार 75 वर्षों से राष्ट्रिहत में कार्य कर रही है। पिछले सत्र 2023-24 में विद्यार्थी परिषद की देशभर में कुल सदस्यता 50,65,264 थी। जिसमे जयपुर प्रांत की कुल सदस्यता 1,20,347 थी।

प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जयपुर प्रांत में 6 मई से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। विद्यार्थी परिषद सदस्यता अभियान हर वर्ष चलती है। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जिसका मूल कारण है परिषद की सदस्यता है। इस सत्र में विद्यार्थी परिषद की 2,34,600 नए सदस्य बनाएगी। जिसमे परिषद के 22 जिलों में कुल 2500 से अधिक निजी एवं राजकीय 10 2 की विद्यालयों में नए सदस्य बनेगी। सदस्यता तीन चरणों में होगी। प्रथम चरण में विद्यालय सदस्यता 06 मई से 15 मई तक, द्वितीय चरण में व्यवसायिक छात्र सदस्यता 20 जुलाई से 30 जुलाई तक और तृतीय चरणा में सदस्यता में शेष सभी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय मे सदस्यता 1 अगस्त से 10 अगस्त तक सम्पन्न होगी। इस प्रेस वार्ता में प्रान्त सह मंत्री अंजलि चोरसिया, प्रान्त सह मंत्री राजेन्द्र प्रजापत उपस्थित रहे। सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 31/2024

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री राम बाबू अग्रवाल प्रन्यासी पंजीकृत प्रन्यास अग्रसेन विकास ट्रस्ट 59, गोविन्दम देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 38 जयपुर 2008 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के चुनाव करा निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम प्रन्यास अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 16.05.2024

मोहर अदालत

आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड रहा है कि हमारे पिताजी **श्री राम सहाय शर्मा** पुत्र स्व. श्री मोतीलाल शर्मा (सीमावत) का स्वर्गवास, दिनांक 30.04.2024 को हो गया है। बैठक दिनांक 02.05.2024 को सायं 5 से 6 शिव मन्दिर गोपालबाडी, जयपुर है।

शोकाकुल- महेन्द्र, प्यारे लाल, राकेश (भ्राता), जितेन्द्र शर्मा (पुत्र), मृदुल, शौर्य (पौत्र) संपर्क-9829063554

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस

जयपुर। प्रदेश में जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय तथा संयुक्त निदेशक जयपुर जोन के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।

डॉ. माथुर ने तीनों कार्यालयों के सभी कक्षों में जाकर कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। औचक निरीक्षण में 44 चिकित्सा कार्मिक अनुपस्थित मिले।

डॉ. माथुर ने बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर कार्यालय नहीं आने वाले एवं बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तीनों कार्यालयों में ई-फाइल एवं ई-डाक के निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि फाइलों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।

नाम परिवर्तन

मैं मेरा नाम सुनील कुमार डिडवानिया से बदलकर सुनील डिडवानिया पुत्र श्री राजकुमार डिडवानिया रख लिया है। आगे से मुझे सुनील डिडवानिया के नाम से जाना व पहचाना जावे पता- डी-156, अछत स्प्रींग दुर्गा मार्ग बनीपार्क जयपुर

I Sobhag Kanwar W/o Gopal Singh R/o Village Post-Jalsu Kalan, Teh. Degana, Nagore, Rajasthan Pin 341514. MySon's army No. 15145412P Hav. Bhanwar Singh service record my name Sobag Kanwar Date of Bith 28.09.1961 wrong recorded. Correct My name Sobhag Kanwar and Date of Birth 01.01.1965. Vide Affidavit Dated 20.04.2024 Jaipur.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031, फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8 (6) व 9 (1) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से कालम (ii) के अनुसार ऋण ग्रहिता(ओ) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कालम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो पहले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाता था, के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 18.05.2024 को "जहाँ है जैसी है" "जो कुछ है यह हैं" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर जैसा नीचे वर्णित है, कालम (ii) के अनुसार ऋण ग्रहिता (ओं) और सह-ऋण ग्रहिता (ओं) के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड) को बकाया राशी की वसूली के लिए की जायेगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये क्रमशः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेब साइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक, अर्थात www.idfcfirstbank.com

निलामी का विवरण

क्र. सं.	(i) डिमांड नोटिस राशि	(ii) नाम ऋण ग्रहिता (ओं) एवं सहऋणग्रहिता (ओं)	(iii) सम्पत्ति का पता	(iv) आरक्षित मूल्य राशि	(v) ईएमडी राशि	(vi) निलामी की तिथि व समय	(vii) ईएमडी निलामी की तिथि व समय	(viii) सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	(ix) अधिकृत अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर
1	रूपये 1208365.89/- डिमांड नोटिस दिनांक 11 अप्रैल 2021	रवि शर्मा, नारंगी देवी और रामबाबू शर्मा	यूनिट नं. एस-1, क्षेत्रफल 800.00 वर्गफिट, दूसरी मंजिल, प्लाट नं. ए-73, मंगलम सिटी, ब्लाक-ए, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है पूर्व- प्लाट नं. ए-62, पश्चिम-रोड 30 फिट चौडी, दक्षिण-प्लाट नं. ए-72, उत्तर-रोड 30 फिट चौडी	रूपये 1080000.00/-	रूपये 108000/-	18.05.2024 प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 तक	17.05.2024 प्रातः 10.00 से सायं 5.00 तक	09.05.2024 दोपहर 1.00 से सायं 4.00 तक	नाम-सरदीप राठौड, मोबाइल नम्बर-9887772255 नाम-आंचल शर्मा, मोबाइल नम्बर-7737204242
2	रूपये 6217608.45/- डिमांड नोटिस दिनांक 18 मार्च 2023	राजकुमार एण्ड कम्पनी राजकुमार ताम्बी मोहन लाल	दुकान नं. 74, क्षेत्रफल 14.89 वर्गमीटर अर्थात 160.21 वर्गफिट नागतलाई, सूरजपोल गेट, जयपुर के सामने, जयपुर नगर, चौकडी हवेली, जयपुर, राजस्थान 302003 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमाये है पूर्व- रोड 30 फिट चौडी, पश्चिम-बेचने वाले का मकान प्लाट नं. 5, उत्तर-दुकान नं. 73, दक्षिण-पैसेज	रूपये 2916000.00/-	रूपये 291600.00/-	18.05.2024 प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 तक	17.05.2024 प्रातः 10.00 से सायं 5.00 तक	09.05.2024 दोपहर 1.00 से सायं 4.00 तक	नाम-पुष्पेन्द्र सैनी मोबाइल नम्बर-9772306344 नाम-आंचल शर्मा, मोबाइल नम्बर-7737204242

अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।

दिनांक- 02.05.2024
स्थान- जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गोपाल विरूद्ध तहसीलदार वगै. स्थान पावटा
प्रार्थना पत्र :- पत्थरगढी
प्रार्थना-पत्र संख्या 15 सन् 2023

1. नाम कमलेश पुत्र छाजुराम जाति यादव पता कुनेड तहसील पावटा, जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान
2. नाम रजनी पुत्री छाजुराम पत्नि अमित यादव जाति यादव पता मौहल्ला पीच बिहाली, पवाना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।
3. नाम कैलाश पुत्र जम्मन जाति यादव पता कुनेड़ तहसील पावटा, जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान
4. नाम हजारी पुत्र भूरा जाति यादव पता ढाणी भौमिया जी की, पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान
5. नाम बनवारी पुत्र वंशी जाति यादव पता ढाणी भौमिया जी की, पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि पत्थरगढी हेतू

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 03 माह मई सन् 2024 को 10:00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

अतः आज तारीख 24 माह अप्रेल सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

दिनांक 24.04.2024

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड)